



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 1935

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा का.नि. 109 (अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में “स्तंभ (5) से स्तंभ (14)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
3. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्—

### प्रस्ताव

पद का नाम	पदों की संख्या	अधिकरण	वेतन बैंड और ग्रेड/वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए लागू सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	*1 (2013) कार्यालय के अधिकार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साक्षात्पक्ष में सेवा, सशुद्ध क राखवर्षित अनुसंधानिक	वेतन बैंड - 3, 18500-35150 स्तर + डेड वेतन 7000 स्तर	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिबीसा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली शक्तियों की प्रतिभत्ता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे अपेक्षा किन्से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसा प्रधान निजी सचिव जिसने अपनी में पांच वर्ष निरन्तर सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1 :- जहां ऐसे कमिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में किन्हीं प्रवृत्ति अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के अक्षे से अधिक सेवा दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कमिष्ठ व्यक्तियों सहित, किन्हीं ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा सहित ही पूरी कर ली है, अपनी उपबन्धन शर्तों में प्रोन्नति के लिए शर्तों की अवधि का अवधि पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 2 :- प्रोन्नति के लिए अनुमानित अर्हक सेवा की संतुलन करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2005 के पहले या उस तारीख को किसे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>सशुद्ध क विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा नामविधिष्ठ किया जाए - सदस्य</li> <li>3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक अधिकरण का आरसाधक सहायक सचिव - सदस्य</li> <li>4. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12011/1/2011-ए.टी]  
कमला कुंद्रा संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.सि. 34 तारीख 4 मई, 2007 द्वारा प्रमाणित किए गए।